

नेम्बर रसीद संख्या

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम श्रीमति मोहन छापटली
— श्रान्त भूज राज्य
2. लेख्य-पत्र की किस्म
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई
4. प्रतिफल की रकम
- क. फीस रजिस्ट्री : रुपये

- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री २१२५-
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि
देने की फीस श्रीमति रजस्ट्राई 14000

ग. विविध फीस : ०३००

- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस
- (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
- (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस
- (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस
- (6) संरक्षण फीस
- (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो)
अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की विक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस 16395-

फीस के प्राप्त होने की तारीख 16. 4. 08.

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये पाने की तारीख

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर
हाईकुर (बंदी)



● राजस्थान RAJASTHAN

दान पत्र [डोनेशन]

A 234076

APR 2008

आज दिनांक 16.4.08 को यह दान पत्र [डोनेशन] - श्रीमति मोडी बाई आयु 34 वर्ष पत्नी श्री गणनन्द जी कौम गुजर साकिन बर्लंध उप तहसील तालेडा तहसील व जिला बूँदी [राजा०] [जिसे आगे चलकर इस दानपत्र में प्रथम पहकार दानदाता के नाम से संबोधित किया गया है]



तथा

- श्रीमति मोडीबाई

आर्द्ध बाल विधा मीदर सीमित बर्लंध तहसील व जिला बूँदी रजिस्ट्रेशन क्रमांक बूँदी/15/88-89 दिनांक 27.2.1989 जर्य अध्यक्ष/सचिव गणनन्द गुर्जर आत्मा श्री गेन्दीलाल जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम धातरी पोस्ट बर्लंध उप तहसील तालेडा तहसील व जिला बूँदी [राजा०] [जिसे आगे चलकर इस दानपत्र में] द्वितीय पहकार दानग्रहिता सीमित के नाम से संबोधित किया गया है [के मध्य आलेखित कर निष्पादित किया गया।

गणनन्द गुर्जर/अध्यक्ष/सचिव-आर्द्ध बाल विधा मीदर सीमित बर्लंध

यहांक मुझ प्रथम पहकार के कबी काशित व छाते की छाता तं० 463 की कृषि भूमि खसरा नं० 94/। रक्खा 3 बिस्ता ,छ०नं० 95/। रक्खा 1 बीघा 9 बिस्ता कुल किता 2 रक्खा । बीघा 12 बिस्ता वाके ग्राम बर्लंध पट्टार हल्का बर्लंध तहसील व जिला बूँदी में स्थित है।

ओरीबाई

तथा

गोप्य

क्रमा० - 2



राजस्थान RAJASTHAN

१२१

A 234081

मुझ प्रथम पक्षकार की कबो काशत व छाते की छाता सं ४३७ की कृषि भूमि खसरा नं १५० रुपया ५ बिस्ता वाके ग्राम बर्संध पट्टार हल्का बर्संध तहसील व जिला बूँदी में स्थित है।

यहांक मैंने मेरी उपरोक्त छाता सं ४६३ की कृषि भूमि खसरा नं १५१/१ रुपया ३ बिस्ता, छाता सं १५१/१ रुपया १ बीघा १ बिस्ता में से । बीघा ६ बिस्ता ४ पूर्वी तरफ की४ कुल किता २ रुपया । बीघा १ बिस्ता, तथा मेरे कबो काशत व छाते की छाता सं ४३७ की कृषि भूमि खसरा नं १५० रुपया ५ बिस्ता वाके ग्राम बर्संध पट्टार हल्का बर्संध तहसील व जिला बूँदी को याने दोनों छातों की टोका भूमि पट्टार हल्का बर्संध तहसील व जिला बूँदी को द्वितीय पक्ष "आर्द्धा बाल विधा मीदर सीमित बर्संध । बीघा १४ बिस्ता भूमि को द्वितीय पक्ष "आर्द्धा बाल विधा मीदर सीमित बर्संध । जर्य अध्यक्षतचिव " को दान में देने का प्रस्ताव किया जिसे द्वितीय पक्षकार सीमित ने स्वीकार कर लिया ।

यहांक मुझ प्रथम पक्षकार ने मेरी छाता सं ४६३ की कृषि भूमि खसरा नं १५१/१ रुपया ३ बिस्ता, छाता सं १५१/१ रुपया । बीघा १ बिस्ता में से । बीघा ६ बिस्ता कुल किता २ रुपया । बीघा १ बिस्ता को, तथा मेरे कबो काशत व छाते की छाता सं ४३७ की कृषि भूमि खसरा नं १५० रुपया ५ बिस्ता को, कुल टोका भूमि । बीघा १४ बिस्ता को द्वितीय पक्ष आर्द्धा बाल विधा मीदर सीमित बर्संध जर्य अध्यक्षतचिव को दान कर दिया है तथा द्वितीय पक्ष ने भी मेरे द्वारा उपरोक्त दान की गई संपत्ति को दानशीलता के रूप में दान में लेना स्वीकार कर लिया है, याने मैंने मेरी उपरोक्त को दानशीलता के रूप में दान में लेना स्वीकार कर लिया है तथा द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त भूमि दान के रूप में भूमि उक्त सीमित को दान करदी है तथा द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त भूमि दान के रूप में प्राप्त करली है । अब मुझ प्रथम पक्ष व मेरे वारितान का मेरे द्वारा मेरी उपरोक्त प्राप्त करली है । अब मुझ प्रथम पक्ष व मेरे वारितान का कोई हक व संपत्ति जो मैंने द्वितीय पक्षकार को दान करदी है, मैं किंतु प्रकार का कोई हक व

मीटीवाई

प्रमाण - 3



● राजस्थान RAJASTHAN

१३

A 234082

अधिकार नहीं रहा है और न ही किसी प्रकार का कोई संबंध ही रहा है और ना ही कोई लेना देना शेष रहा है। आज से ही उपरोक्त दान की गई भूमि के एक मात्र मालिक व काबिज व छातेदार द्वितीय पक्षकार हों।

यद्यकि मुझ प्रथम पक्षकार ने मेरी उपरोक्त दान की गई संपत्ति के पेटे मुझ प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार के मध्य किसी प्रकार का लेन-देन विविध प्रतिफल नहीं हुआ है।

अतः आज मुझ प्रथम पक्षकार ने अच्छी तरह सोच समझ कर तन्दुरुस्त व स्थिर मन मस्तिष्ठक की हालत में बिना किसी दबाव-धौंत के स्वयं की इच्छा से यह दान पत्र 3000/- रुपये के नोन चुट्ठा ०००/३ किता ३ पर दाँड़प करवाकर पठ्ठनकर तहीं होना मानकर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा ग्राही ग्राहानं करवादी हैं जो तहीं है सनद रहे वक्ता जल्दत काम आवे।

दिनांक १६.४.०८

हस्ताक्षणान

हस्ताक्षण प्रथम पक्षकार दानदाता

मीरीबाई

१- हेमराज मीणा

हेमराज मीणा आ० कन्दैयालाल
मीणा जाति मीणा निं० बर्लू
तह० व जिला बूंदी आयु ३३ वर्ष

हस्ताक्षण दानदाता


आर्द्धी बाल पिघा मीदरतीमीति बर्लू
जर्ये अध्यात्मिक -

२- जगजीवनराम

जगजीवनराम पाधाल आ० श्री
रामनारायणजी जाति लुहार निं०
बर्लू तह० व जिला बूंदी आयु ३७वर्ष

उप पंजीयक
तालेडा जिला बूंदी (राज०)

अंतिम दिन १५.४.०८
अंतिम दिन १५.४.०८
अंतिम दिन १५.४.०८
अंतिम दिन १५.४.०८



उप पंजीयक
तालेझा जिला वून्डी (राज०)